न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./01/2022

नैतिक दत्तक पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी रोनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर

..........प्रार्थी

बनाम

जगदीश पुत्र अरजन जाति जाट निवासी रौनीजा तहसील नदबई जिला भरतपुर

..........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी,नदबई व मुकदमा दावा नम्बर 100/21 एवं प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. नम्बर 101/21 उनवानी नैतिक बनाम जगदीश

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

उपस्थितः—

1—श्री विजयसिंह कुन्तल अभिभाषक प्रार्थी,

2—श्री महाराजसिह डांगुर,अभिभाषक अप्रार्थी,

निर्णय **दिनांक 03.08.2023**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय एस.डी. ओ. नदबई के यहॉ विचाराधीन हैं। प्रार्थी नावालिग है जो कि अपनी दत्तक माता की परिवरिश में रह रहा है वादी एवं उसकी माता को वादी के पिता जगदीश द्वारा मारपीट कर गांव से भगा दिया है इसलिए नावालिग वादी को लेकर प्रार्थीया वादिनी दत्तक माता अपने पिता के सहयोग से किराये पर भरतपुर में निवासी कर रही है। वादी की माता प्रार्थीया जब भी तारीख पेशियों पर नदबई जाती है तो प्रतिवादी जगदीश एवं उसके भतीजे नावालिग वादी की माता के साथ मारपीट करते हैं दिनांक 18.6.2021 को वादी की मां मुकदमें के सिलसिले में नदबई गई तो प्रतिवादी ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की तथा नावालिग वादी को भी पीटा जिसकी रिपोर्ट वादी की माता द्वारा थाना नदबई में दर्ज कराई गई है। प्रतिवादी मुकदमें की पैरवी हेतु तारीख पर भी नहीं आने देता है इसलिए नाबालिग वादी अपने उक्त मुकदमें को नदबई से भरतपुर स्थानान्तरण कराना चाहता है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मुन्तकिल स्वीकार किया जाकर प्रकरण नदबई से भरतपुर मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

...........2.

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रा.पत्र मुन्त./01/2022
नैतिक बनाम जगदीश

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थी0 की तलब की गई एवं एस.डी.एम. नदबई से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.एम. नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिली पत्रावली किया गया। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.एम. नदबई के यहां एक दावा एवं टी. आई प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। प्रार्थी नावालिग है जो कि अपनी दत्तक माता की परिवरिश में रह रहा है वादी एवं उसकी माता को वादी के पिता जगदीश द्वारा मारपीट कर गांव से भगा दिया है इसलिए नावालिग वादी को लेकर प्रार्थीया वादिनी दत्तक माता अपने पिता के सहयोग से किराये पर भरतपुर में रहती है। वादी एवं माता प्रार्थीया जब भी तारीख पेशियों पर नदबई जाते हैं तो प्रतिवादी जगदीश एवं उसके भतीजे नावालिग वादी एवं माता के साथ मारपीट करते हैं। योग्य अभिभाषक ने यह भी बताया कि दिनांक 18.6.2021 को वादी की मां मुकदमें के सिलसिले में नदबई गई तो प्रतिवादी ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट की तथा नावालिग वादी को भी पीटा जिसकी रिपोर्ट वादी की माता द्वारा थाना नदबई में दर्ज कराई गई है। प्रतिवादी मुकदमें की पैरवी हेतु तारीख पर भी नहीं आने देता है। वादी नाबालिग की परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये तथा अपने दावा में विधिवत पैरवी कर सके इसलिए मुकदमें को एस.डी.ओ. नदबई से भरतपुर स्थानान्तरण किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जबाब में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य अंकित किये हैं, प्रार्थी अप्रार्थी का दत्तक पुत्र है लेकिन अन्य सभी बातें मिथ्या एवं मनगढन्त दर्ज की गई है कभी कोई मारपीट की वारदात या किसी प्रकार की धमकी अप्रार्थी ने प्रार्थी व उसकी माता के साथ नहीं की है प्रार्थी व उसकी माता हमेशा से प्रतिवादी के साथ रही है। अप्रार्थी ने इनके साथ कभी मारपीट नहीं की है। प्रार्थी व उसकी माता वर्तमान में ग्रांम सोगर तहसील कुम्हेर में रहती है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के तारीख पेशी पर आने पर कभी भी इनके साथ मारपीट नहीं की और नाहीं किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर मनन किया। एस.डी.एम. नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुये न्यायहित में प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

..........3

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नदबई के न्यायालय में विचाराधीन दावा नं. 100/21 एवं प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट उनवानी नैतिक बनाम जगदीश को सहायक कलेक्टर,भरतपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी,नदबई एवं सहायक कलेक्टर,भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03–08–2023 को सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर